



66

समक्ष न्यायालय— राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट जबलपुर
क्रि.नं. 13893-I-15

आरकांस इनफारस्ट्रेक्चर कंपनी लिमिटेड
द्वारा संजय कोठारी पिता हुकुमचंद कोठारी
निवासी— बड़वन छिंदवाड़ा

.... पुनरीक्षणकर्ता

569

विरुद्ध

.... उत्तरवादी

श्री ४ गान्धे निमलकर
अभिप्रेतता द्वारा प्रस्तुत
पत्राचार सीडर
17 NOV 2015
अधीनस्थ
कार्यालय न्यायालय, जबलपुर संभाग

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/अ-76/2013-14 पक्षकार मध्यप्रदेश शासन
विरुद्ध मेसर्स आरकांस इनफारस्ट्रेक्चर कंपनी लिमिटेड छिंदवाड़ा न्यायालय
हिसीलदार केवलारी जिला सिवनी में पारित आदेश दिनांक 03/10/2015 से
प्राथित होकर पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

3

R 3893-I/15

बिना बिन्दवाज

28/2/18

काकेवळ डॉ. श्री. रम. के. पटेल
 उप. उाके उरावनाया बाया कि
 कधीनच न्यायालय में मूल अदेश
 कपील के रिजोक 27/6/17 को
 हो जाने के वरत यद विवाह
 निरपुष्कवी हो गई है, का:
 इसी तरफ़ सवाल की
 जाये काकेवळ डॉ. रम. के. पटेल का
 निवेदन विवाह वाने हुए इसी
 तरफ़ सवाल सवाल किया
 जाना है वाकिल रिजोक है।

(N) 28/2/18

28/2/18

काकेवळ डॉ. रम. के. पटेल
 उप. उाके उरावनाया बाया कि
 कधीनच न्यायालय में मूल अदेश
 कपील के रिजोक 27/6/17 को
 हो जाने के वरत यद विवाह
 निरपुष्कवी हो गई है, का:
 इसी तरफ़ सवाल की
 जाये काकेवळ डॉ. रम. के. पटेल का
 निवेदन विवाह वाने हुए इसी
 तरफ़ सवाल सवाल किया
 जाना है वाकिल रिजोक है।

3

यश-हरि